रजिस्ट्री सं० डी०एल०—33004/96

REGD. NO. D.L.—33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 12, 1996/पौष 22, 1917
No. 21] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 12, 1996/ PAUSA 22, 1917

India Code

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
स्वापक नियंत्रण ब्यूरो
अधिसूचना
नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1996

सा० का० नि० 25(अ).—केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 76 के साथ पठित धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम, 1996 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ नियम, 1985 में,

मन: प्रभावी पदार्थों से संबंधित उपशीर्ष II के अंतर्गत अनुसूची I में क्रम संख्यांक 33 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:—

क्रम सं०	अन्तर्राष्ट्रीय असांपत्तिक नाम	अन्य असांपत्तिक नाम	रासायनिक नाम
"33क	एट्रीप्टामाइन		(3-(2-अमीनोबुटिल) इन्डोल)
33ख	मैथ्साथिनोन		(2-(मैथिलअमीनो)-1-फेनीलप्रोपान-1-एक)
33ग	जिपरोल		(α-(α-मैथोक्सीबेन्जील-4 (β मैथोक्सीफेनेथिल) -1-पिपरोजिनीथानोल)
33घ	अमीनोरेक्स		(2-अमीनो-5-फेनील-2-ओक्साजोलीन)

33ङ ब्रोटीज़ोलम	(2-ब्रोमो-4-(O-क्लोरोफेनील)-9-मिथाइल-6 एच-थीनो (3,2-एफ)-एस-ट्रायजोलो (4,3-ए) (1,4) डायजेपिन)
33च मेसोकार्ब	(3-α(1-मेथिलफेनेथिल)-एन-(फेनिलकार्बोमोइल) सीडोनोनीमाइन)"

[फा॰ सं॰ V/10/95-एन॰ सी॰ बी॰(कोआर्डिनेशन)]
ए॰ के॰ श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

टिप्पणी:—मूल नियमों को दिनांक 14 नवम्बर 1985 की सा॰ का॰ नि॰ 837(ई) के तहत प्रकाशित किया गया था। बाद में का॰ आ॰ 786 (ई) दिनांक 26-10-92, का॰ आ॰ 599 (ई) दिनांक 10-8-93, का॰ आ॰ 748(ई) दिनांक 14-12-93, सा॰ का॰ नि॰ 543 दिनांक 24-10-94, सा॰ का॰ नि॰ 82 दिनांक 14-2-95 तथा सा॰ का॰ नि॰ 556(ई) दिनांक 14-7-1995 के तहत संशोधित किया गया।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
Narcotics Control Bureau
NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 1996

G.S.R. 25(E).—In exercise of the powers conferred by section 9, read with section 76, of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, namely :—

1. (1) These rules may be called the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Rules, 1996.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985 in Schedule I, under sub-heading II relating to psychotropic substances, after serial number 33 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be added, namely :—

Sl. No.	International Non-Proprietory Names	Other Non-Proprietory Names	Chemical Name
"33A	ETRYPTAMINE		(3-(2-aminobutyl) indole)
33B	METHCATHINONE		(2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one)
33C	ZIPEPROL		(α(α-methoxybenzyl)-4-(β-methoxyphene-thyl)-1-piperazineethanol)
33D	AMINOREX		(2-amino-5-phenyl-2-oxazoline)
33E	BROTIZOLAM		(2-bromo-4-(O-chlorophenyl)-9-methyl-6H-thieno (3, 2-f)-triazolo [4, 3-a] [1,4] diazepine)
33F	MESOCARB		(3-α(l-methyphenethyl)-N-(phenylcarbamoyl) Sydnone imine)".

[F. No. V/10/95-NCB(COORD)]
A.K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

NOTE.—The Principal Rules were published vide G.S.R. 837 (E) dated 14th November, 1985 were subsequently amended vide S. O. 786(E) dated 26-10-1992, S. O. 599(E) dated 10-8-1993, G.S.R. 748(E) dated 14-12-1993, G.S.R. 543 dated 24-10-1994, G.S.R. 82 dated 14-2-1995, and G.S.R. 556 (E) dated 14-7-1995.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 1996